फर्द अहकाम

उमरेश / बनाम ओमप्रकाश

न्यायालय ACM आमेर, जयपुर

संख्या 66/2021

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	29/2/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप. पत्रावली ... आदेश 12/2/25 ... दिनांक 11/3/2025 ... पेश हो।	
	11/3/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। पेशी प उभयपक्ष आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर द्वि. जयपुर	
	12/3/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उप०। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर द्वि. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 66/2021

निर्णय दिनांक : 12.03.2025

1. कमलेश पुत्र गंगासहाय,
2. घनश्याम पुत्र गंगासहाय,
3. सुरेश पुत्र नानूराम,
4. मदन पुत्र नानूराम,
5. श्रवण पुत्र नानूराम,

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. ठाकरसी राम पुत्र श्री भूराराम,
2. भैरूलाल पुत्र हरिनारायण,
3. रामधन पुत्र भूराराम,
4. रामपाल पुत्र भूराराम,
5. रामलाल पुत्र भूराराम,
6. सीताराम पुत्र भूराराम,
7. जगदीश पुत्र देवीलाल, .प्रार्थीगण
8. तेजपाल पुत्र देवीलाल,
9. मूलचन्द पुत्रं देवीलाल,
10. चन्दालाल पुत्र श्री रामानन्द
11. नानूलाल पुत्र रामानन्द,
12. लल्लू लाल पुत्र रामानन्द, बंशीधर पुत्र जैराम,

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary;
Date: 2025.05.07 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि कृषि भूमि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का भांगल [illegible] भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है। कृषि भूमि खाता संख्या – 336 खसरा नम्बर – 44 रकबा 0.2300 हैक्टेयर प्रार्थीगण के एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर – 44 से लगते हुए अप्रार्थीगण संख्या – 01 ता 12 की कृषि भूमि खसरा नम्बर – 43, 45 व 46 स्थित है

सहायक क...
आमेर मु. जयपुर

व खसरा नम्बर 37 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गैर–मु0 रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व का है तथा खसरा नम्बर 38 गैर–मु० चाह रकबा 0.0800 हैक्टेयर में स्थित कुआं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 के संयुक्त स्वामित्व का स्थित है तथा खसरा नम्बर 38 से लगते हुए प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 44 रकबा 0.2300 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 36 / 835 रकबा 0.0300 हैक्टेयर ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 12 के खसरा नम्बर 36 से लगती हुयी है । जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त है । अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 ने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है तथा वे आये दिन प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमियों पर कब्जा करना चाहते है व प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 में से जबरन कब्जा कर रास्ता कायम करना चाहते है। जबकि खसरा नम्बर 44 प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है। जिसमें से कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 बाहुबल आधार पर प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि में कब्जा कर रास्ता कायम करना चाहते है । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा अन्य अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 11 के साथ मिलकर प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 36 / 835 पर कब्जा करने की भी धमकियां दी जाती है। दिनांक 16.09.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 अपने परिवार की औरतो तथा बच्चों के साथ एकराय होकर मौके पर आये तथा प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 में कब्जा कर रास्ता निकालने की कोशिश करने लगे तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 36 / 835 से प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश करने लगे। जिसका विरोध प्रार्थीगण द्वारा किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 प्रार्थीगण के साथ धक्का–मुक्की तथा गाली–गलौच करने लगे, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा मौके पर पुलिस बुलाई गई तो पुलिस के आने पर उक्त समय तो अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 तथा उनके साथ आये हुए उनके परिवार के सदस्य मौके से चले गये परन्तु जाते–जाते प्रार्थीगण को धमकी देकर गये कि हम शीघ्र ही तुम्हारी कृषि भूमि पर कब्जा कर उसमें रास्ता कायम करके रहेंगे तथा खसरा नम्बर 36/835 से तुम्हें बेदखल करके रहेंगे। यह कि तत्पश्चात् दिनांक 22.09.2021 को पुनः अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 अपने परिवार के सदस्यों को लेकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आये तथा पुनः उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करने लगे जिस पर प्रार्थीगण द्वारा बडी मुश्किल से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 को अपने स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने से रोका गया। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा उन्होंने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है तथा वे कभी भी प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा कर उसमें रास्ता कायम कर सकते

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

है तथा प्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से बेदखल कर सकते है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त कृत्य से प्रार्थीगण में भय का वातावरण बना हुआ है तथा प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय से पाबंद करवाने के अलावा कोई चारा शेष नहीं है। जिस कारण से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 प्रार्थीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 में से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे तथा ना ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से रास्ता निकाले तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में कोई बाधा कारित नहीं करे व ना ही प्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की की कृषि भूमि खसरा नम्बर 36/835 में से बेदखल करे, ऐसा ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे तथा व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 07.04.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण उक्त दावा की आड में खसरा नम्बर 37 गै०मु० रास्ते व खसरा नम्बर 38 गै०मु० चाह पर अतिक्रमण कर अपने भूमि का विस्तार करना चाहते हैं। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 के द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि व गै०मु० चाह की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीगण उक्त पत्थरगढी की कार्यवाही को रोकने के लिये मान्य न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर उत्तरदाता को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता द्वारा कभी भी दिनांक 16/9/2021 को प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की एलानियां धमकी नही दी गई। प्रार्थीगण द्वारा बिना वादकारण के वाद प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, झूठे मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार हैं। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 37 व गै०मु० चाह खसरा नम्बर 38 की भूमि पर उक्त प्रार्थना पत्र की आड में अतिक्रमण कर अपनी भूमि का विस्तार करना चाहते हैं, तथा आये दिन प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में अवरुद्ध पैदा करते रहते हैं। अप्रार्थी द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 36/835 से बेदखल करने की कौशिश नही की गई हैं। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रण कर उत्तरदाता के आने जाने में अवरुद्ध पैदा करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थीगण का वाद वास्तविक तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों पर पेश किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं। उत्तरदाता द्वारा खसरा नम्बर 37 गै०मु० रास्ता व खसरा नम्बर 38 गै०मु० चाह की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को रोकने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कभी प्रार्थीगण को बेदखल करने की कौशिश नही की गई हैं। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि व गै०मु० चाह की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण अपने भूमि का विस्तार करना चाहते हैं। इस प्रकार यदि उत्तरदातागण को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्तनीय मिन उत्तरदातागण को होगी। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 10 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार हैं। उपरोक्त जवाब तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें ।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का है, प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजो एवं जवाब के आधार पर विवादित आराजी अप्रार्थीगण संख्या 12 के खसरा नम्बर 36 से लगती हुयी है । जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 में से जबरन कब्जा कर रास्ता कायम करना चाहते है। जबकि खसरा नम्बर 44 प्रार्थीगण के [illegible] आधिपत्य की कृषि भूमि है। प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर [illegible] संबंधित विवाद है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा [illegible] निर्माण करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष भीं प्रतीत होता है यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] जयपुर

प्रकरण संख्या – 66/2021
वउनवानी कमलेश बनाम ठाकरसी वगै.
निर्णय दिनांक – 12.03.2025

तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 44 एवं 36/835 वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा भू.अभि. क्षेत्र खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी में मौके की यथास्थित बनाये रखे। उक्त टी0 आई0 आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने संबंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नहीं होगी। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर होगी। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:26:35 IST
Reason: SelfAttested